सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 15 दर्ज तिथिः—02.01.2025

1. जनेश खान पुत्र पठान खान
2. बरकत पुत्र पठान खान नाबालिक जरिये कुदरती वली माता रेशी पत्नी पठान जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा तहसील नोखड़ा, जिला बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. पठान खान पुत्र काबल
2. जुसबखान पुत्र काबल
3. गोरामखा पुत्र काबल
4. रसुल खान पुत्र काबल
   समस्त जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
6. तहसीलदार नोखड़ा

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री सुखराम
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

दिनांक 04.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत घोषणा पेश कर निवेदन किया गयाः—
   - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

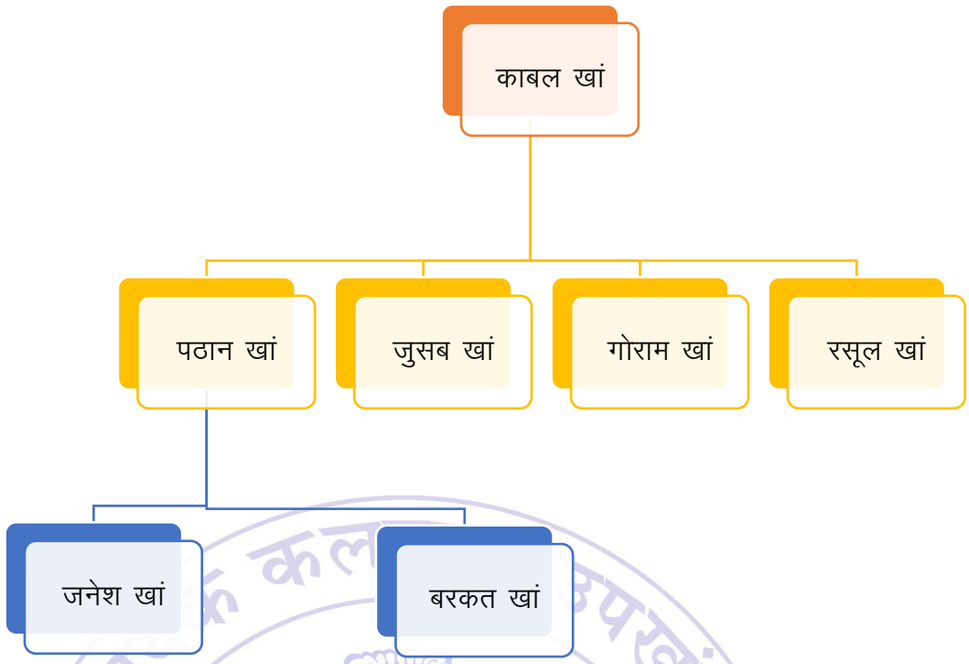

- कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 458/4.7915 है0, 476/3/6.3131 है0 मौजा धोलपालिया नाडा तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी का मूल खातेदार काबल खां था। काबल खां को वादीगण से प्रेम व स्नेह था। वादीगण की परवरिश वादीगण की माता ने काबल पुत्र अली की देखरेख में की थी। वादीगण से काबल पुत्र अली के विशेष स्नेह के कारण मुतनाजा आराजी में प्रत्येक खसरे में अपना 1/6 हिस्सा वादीगण को दिनांक 28.09.2023 को मौखिक हिबा कर दिया। उक्त हिबा को वादीगण के नाबालिग होने के कारण वादीगण की ओर से माता रेशी ने स्वीकार कर लिया। तब से ही वादीगण अपनी माता के संरक्षण में मुतनाजा आराजी पर काश्त कर रहे है। इस आधार पर वादीगण मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि वादी मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। तत्पश्चात् वादी द्वारा विभाजन की इश्तहुआ को प्रत्याहारित किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में निम्न अनुतोष हैः—

1. *आया वादी मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है?*
(जिम्मे वादी)
2. *आया वादीनी बाद घोषणा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने के अधिकारी हैं?*
(जिम्मे वादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

3. अन्य सहायता.....

(.....जिम्मे उभय पक्षकारान)

3. प्रकरण में विचारण आरंभ किया गया तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी संवत 2072—75 खाता संख्या 11 मौजा धोलपालिया नाडा	प्रदर्श पी—01
राजस्व नक्शा खसरा संख्या 476/3 मौजा धोलपालिया नाडा	प्रदर्श पी—02
राजस्व नक्शा खसरा संख्या 458 मौजा धोलपालिया नाडा	प्रदर्श पी—03
नामांतरकरण संख्या 422/02.12.2024 मौजा धोलपालिया नाडा	प्रदर्श पी—04
राशन कार्ड 00065	प्रदर्श पी—05
जनआधार कार्ड 5012465242	प्रदर्श पी—06

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रेशी पत्नी पठान	मुसलमान	धोलपालिया नाडा	पी0डब्ल्यू—1

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 458/4.7915 है0, 476/3/6.3131 है0 मौजा धोलपालिया नाडा तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी का मूल खातेदार काबल खां था। काबल खां को वादीगण से प्रेम व स्नेह था। वादीगण की परवरिश वादीगण की माता ने काबल पुत्र अली की देखरेख में की थी। वादीगण से काबल पुत्र अली के विशेष स्नेह के कारण मुतनाजा आराजी में प्रत्येक खसरे में अपना 1/6 हिस्सा वादीगण को दिनांक 28.09.2023 को मौखिक हिबा कर दिया। उक्त हिबा को वादीगण के नाबालिग होने के कारण वादीगण की ओर से माता रेशी ने स्वीकार कर लिया। तब से ही वादीगण अपनी माता के संरक्षण में मुतनाजा आराजी पर काश्त कर रहे है। इस आधार पर वादीगण मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि वादी मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। तत्पश्चात् वादी द्वारा विभाजन की इश्तदुआ को प्रत्याहारित किया गया।
- कि उक्त दावे के समर्थन में पैरा संख्या 3 में अंकित प्रदर्श अंकित करवाए है।

6. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

कि वादी मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी प्रकार वादी मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

7. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

1. आया वादी मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादीगण

8. प्रकरण में प्रथम अनुतोष वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष मुतनाजा आराजी पर वादी के 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने से संबंधित है।

9. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि उक्त आराजी का मूल खातेदार काबल खां था। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विधि में पिता के जीवित रहते हुए पुत्रों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही मुस्लिम विधि के तहत पिता की संपति विरासत में समस्त जीवित पुत्रों व जीवित पुत्रियों को प्राप्त होती है। पिता की संपति में विरासत में पुत्रों को पुत्रियों से दुगुना हिस्सा तथा पुत्रियों को पुत्रों की तुलना में आधा हिस्सा प्राप्त होता है। प्रकरण में काबल खा की विरासत में संपत्ति काबल खा के चारों पुत्रों को प्राप्त हुई है। वर्तमान में वादीगण का पिता पठान खान जीवित है। इस कारण वादीगण पठान खान के जीवित रहते हुए मुतनाजा संपत्ति में हक अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं है। वादी का घोषणा का आधार यह है कि दिनांक 28.09.2023 को काबल खा द्वारा वादीगण के पक्ष में मौखिक हिबा कर दिया गया है। परंतु वादीगण उक्त मौखिक हिबा के संबंध में कोई धार्मिक अनुष्ठान या अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। इस आधार पर वादी के द्वारा दावा किया गया मौखिक हिबा को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर वादी वादीगण पठान खान के जीवित रहते हुए मुतनाजा संपत्ति में हक अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं होने के कारण मुतनाजा आराजी पर 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार वादीगण अनुतोष संख्या 01 को साबित करने में असफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध स्वीकार की जाती है।

10. अब प्रकरण में द्वितीय अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

2. आया वादीनी बाद घोषणा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

12. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष अस्वीकार होने के पश्चात् वादीगण का मुतनाजा आराजी पर स्वामित्व नही होने से वादी का यह अनुतोष भी पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का विधिक विभाजन करवाने के पश्चात स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में इस प्रकार न्यायालय अपने विनम्र मत में वादीगण को मुस्लिम विधि के अनुसार अपने पिता पठान खान के जीवित रहते हुए मुतनाजा संपत्ति में हक अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं होने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी मानना उचित नहीं पाता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 04.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 15 दर्ज तिथिः—02.01.2025

1. जनेश खान पुत्र पठान खान
2. बरकत पुत्र पठान खान नाबालिक जरिये कुदरती वली माता रेशी पत्नी पठान जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा तहसील नोखड़ा, जिला बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. पठान खान पुत्र काबल
2. जुसबखान पुत्र काबल
3. गोरामखा पुत्र काबल
4. रसुल खान पुत्र काबल

   समस्त जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
6. तहसीलदार नोखड़ा

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री सुखराम
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 04.12.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested